

## कार्यालय-ज्ञाप

शासन के पत्र संख्या जी0आई0 117/60-3-2018 दिनांक 23.08.2018 में दिये गये निर्देश के अनुपालन हेतु महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 में उपबन्धित धारा-4 के अन्तर्गत आन्तरिक परिवाद समिति का गठन कार्यालय ज्ञाप संख्या-1872 दिनांक 25.09.2020 के माध्यम से किया गया था। जिसमें तदसमय 1-श्रीमती किरन देवी, कनिष्ठ सहायक, गीड़ा, पीठासीन अधिकारी, 2-श्री आलोक कुमार अग्रवाल, प्रबन्धक (प्र0/सा0), गीड़ा, सदस्य, 3-श्री अशोक कुमार उपाध्याय, विधि अधिकारी, गीड़ा, सदस्य, 4-श्रीमती रूपल त्रिपाठी, एडवोकेट, दीवानी कचहरी, गोरखपुर, सदस्य के रूप में नामित किया गया था। वर्तमान में श्री आलोक कुमार अग्रवाल, प्रबन्धक (प्र0/सा0), गीड़ा का स्थानान्तरण नोएडा प्राधिकरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री श्वेताभ विष्णु रंजन दास, प्रबन्धक (प्र0/सा0), गीड़ा, को सदस्य के रूप में नामित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तदनुसार पूर्व में गठित कमेटी में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार कमेटी के अधिकारी एवं सदस्यगण होगे :—

- |   |  |                  |
|---|--|------------------|
| 1 | श्रीमती किरन देवी, कनिष्ठ सहायक, गीड़ा                               | पीठासीन अधिकारी, |
| 2 | श्री श्वेताभ विष्णु रंजन दास, प्रबन्धक (प्र0/सा0), गीड़ा             | सदस्य            |
| 3 | श्री अशोक कुमार उपाध्याय, विधि अधिकारी, गीड़ा                        | सदस्य            |
| 4 | श्रीमती रूपल त्रिपाठी, एडवोकेट, दीवानी कचहरी, गोरखपुर,               | सदस्य            |
|   | शेष नियम पूर्ववत् रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना जाये। |                  |

(अनुज मलिक),  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

## कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण सेक्टर-7, गीड़ा, गोरखपुर।

पत्रांक- ३१४७ गीड़ा/म०का०लै०उ०अधि० 2013/2023-24 दिनांक: २० अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— श्रीमती किरन देवी, कनिष्ठ सहायक, गीड़ा।
- 2— श्री श्वेताभ विष्णु रंजन दास, प्रबन्धक (प्र0/सा0), गीड़ा।
- 3— श्री अशोक कुमार उपाध्याय, विधि अधिकारी, गीड़ा।
- 4— श्रीमती रूपल त्रिपाठी, एडवोकेट, दीवानी कचहरी, गोरखपुर।
- 5— प्रभारी कम्प्यूटर को इस आशय कि कार्यालय ज्ञाप को गीड़ा की बेव-साईट पर अपलोड कराने हेतु,
- 6— प्रभारी समस्त अनुभाग, गीड़ा।
- 7— कार्यालय आदेश पत्रावली/गार्ड फाईल।

अनुज मलिक  
20/10/2023

अनुज मलिक,  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।